ग्राम पंचायत लांगना, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लांगना, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती चंदर मनी	01.03.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री भीम सिंह	01.03.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत लांगना के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.10
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	50.32
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	5.16
4	6(ख)	विवाह पंजीकरण फीस न वसूलने बारे	0.12
5	6(ङ)	विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा ना करवाना	0.05
6	8	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.18
7	9(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.76

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत लांगना, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02-07-2024 से 08-07-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया

गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	**12/22**	**06/22**
2023-24	**09/23**	**01/24**

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत लांगना, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-382 दिनांक द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत लांगना द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) **स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान :-** ग्राम पंचायत लांगना के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1236769.2	788115	2024884.2	731273	1293611.2
2023-24	1293611.2	1102612	2396223.2	973668	1422555.2

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **1422555.2**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	Account no.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2024
H.P State cooperative bank, Makriri	31610102129	Own source & other grants	1412764.20

बैंक समाधान विवरणी :-		
स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष		1422555.20
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	1412764.20
	अन्तर की राशि	**9791**

(ii) **14 वाँ वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत लांगना के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 14 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	2159972.96	54122	2214094.96	2083057	131037.96
2023-24	131037.96	7130	138167.96	0	138167.96

बैंक समाधान विवरणी	
स्व: स्त्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष	138167.96
दिनांक 31.03.24 को बैंक खात 31610106053 में अन्तिम शेष	138167.96
अन्तर की राशि	**nill**

(iii) **15 वाँ वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत लांगना के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1676348	1887987	3564335	740490.4	2823844.6
2023-24	2823844.6	748452	3572296.6	100897	3471399.6

बैंक समाधान विवरणी	
स्व स्त्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष	3471399.6
दिनांक 31.03.24 को बैंक खात 31610102129 में अन्तिम शेष	3471399.6
अन्तर की राशि	**Nill**

(iv) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	3727372	0	3727372	3727372	0
2023-24	0	1461801.20	0	1461801.20	1461801.20	0

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹ 0.10 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से

मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹ 9791** की राशि का अन्तर पाया गया। अत: मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

05. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (चित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत लांगना के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था। अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹ 50.32 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत लांगना द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹ 50,32,122.76 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i), 4(ii),4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः

वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत लांगना द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹5.16 लाख की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत लांगना के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹ 515810** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है की पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹0.12 लाख की वसूली न करना:-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत लांगना द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में ₹ 12200 की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण **परिशिष्ट (ङ)** में दिया गया है । सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-372 दिनांक 03.07.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नहीं जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(ग) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना राशि ₹0.05 लाख :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्रसं.PCH-

HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारीयों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपलना हेतु दिशानिर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत लांगना, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मंडी(हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सुचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान रूपए 5000/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	वर्ष	प्राप्त शुल्क (₹)
1.	2022-23	600
2.	2023-24	4400
	कुल जोड़	5000

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2024) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था। जोकि उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-373 दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लांगना के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत लांगना, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल कुर्सियाँ ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 64 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गंभीर

अनियमितता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-379 दिनांक 08.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लांगना के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपपतियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

8. आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 0.18 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹ 17849 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** में संलग्न है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-375 दिनांक 04.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लांगना के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.76 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹176117 की निर्माण से समाबंधित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	बिल संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	27/24.06.22	4804/01.06.22	14वां वित्त आयोग	भरमोरिया एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर लंगना तहसील जोगिंदरनगर	पाइप & सरिया	12035

2	29/24.06.22	4813/03.06.22	14वां वित्त आयोग	भरमोरिया एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर लंगना तहसील जोगिंदरनगर	पाइप	28888
3	30/24.06.22	4817/12.06.22	14वां वित्त आयोग	भरमोरिया एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर लंगना तहसील जोगिंदरनगर	पाइप	50604
4	32/24.06.22	578/01.06.22	14वां वित्त आयोग	शिव एसोशिएट गाँव व डाकघर लांगना तहसील जोगिंदर नगर जिला मण्डी	पेंट	50860
5	33/24.06.22	601/04.06.22	14वां वित्त आयोग	शिव एसोशिएट गाँव व डाकघर लांगना तहसील जोगिंदर नगर जिला मण्डी	पेंट	30930
6	39/13.01.24	3456/29.12.23	निधि	निर्मला ऑफसेट प्रिंटर	स्टेस्नरी	2800
	कुल					**176117**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-376 दिनांक 04.07.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत लांगना के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना:-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है । पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा । अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा । अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत लांगना, विकास खण्ड चौंतड़ा जिला मंडी(हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे । उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्नं तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	91	20	71	433	433	433	20206	24	27250	7044
2023-24	147	16	131	180	180	180	8222	3	41250	21044

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है की ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी. /2024-378 दिनांक 05.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लांगना के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जोबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे। तथा भविष्य में जोबकार्ड

पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ग) वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹ 10.68 लाख ज्यादा व सामान पर राशि ₹10.68 लाख कम व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹ 20.75 लाख की जगह ₹ 10.07 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 10.68 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹ 31.13 लाख की जगह ₹ 41.81 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 10.68 लाख ज्यादा किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
2022-23	37.27	29.92	22.36	7.35	14.9
2023-24	14.61	11.89	8.77	2.72	5.85
कुल	**51.88**	**41.81**	**31.13**	**10.07**	**20.75**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-377 दिनांक 05.07.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत लांगना के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा । अतः वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के

नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 10.68 कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 10.68 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्टरोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततःहस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत लांगना, विकास खण्ड चौंतड़ा जिला मंडी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्टरोल के तहद की गई आदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्टरोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त

नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-381 दिनांक 06.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लांगना के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

12 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 12.9.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/प्रति0
4501 — 4505

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 154/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत लांगना, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

12 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 12.9.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/प्रति0

पैरा संख्या - 4(i)

परिशिष्ट -(क)

Financial position of own source & all other grants in aid of Gram Panchyat langna					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1236769.2	788115	2024884.2	731273	1293611.2
2023-24	1293611.2	1102612	2396223.2	973668	1422555.2

GP Langna

पैरा संख्या - 4(ii)
परिशिष्ठ - (ख)

Financial position of 14 th FCof Gram Panchyat langna					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	2159972.96	54122	2214094.96	2083057	131037.96
2023-24	131037.96	7130	138167.96	0	138167.96

Langna

पैरा संख्या – 4(iii)
परिशिष्ठ – (ग)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat langna					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1676348	1887987	3564335	740490.4	2823844.6
2023-24	2823844.6	748452	3572296.6	100897	3471399.6

Langna

पैरा संख्या - 6 (क)

परिशिष्ठ (घ)

House Tax Detail year 2016-17 to 2023-24 Gram Panchayat Langna

Year	Total Families	Opening Balance	Rate	Demand	Grand Total	COLLECTION	bALANCE
2022-23	1340	356510	100	134000	490510	79200	411310
2023-24	1340	411310	100	134000	545310	29500	515810

पैरा संख्या - 6 (ख)

परिशिष्ट -(ङ.)

क्रम संख्या	रसीद संख्या	पृष्ठ संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि	प्राप्त राशि	अन्तर की राशि
1	प्रस्तुत नहीं की गयी	49	नेहा विष्ट सुपुत्री श्री जगदीश	10.04.22	15.04.22	200	शून्य	200
2	प्रस्तुत नहीं की गयी	49	विजय कुमार सुपुत्र श्री राम सिंह	23.04.22	05.05.22	200	शून्य	200
3	प्रस्तुत नहीं की गयी	49	संदीप राणा सुपुत्र श्री चमन लाल	21.04.22	09.05.22	200	शून्य	200
4	प्रस्तुत नहीं की गयी	49	सुनील कुमार सुपुत्र श्री खेम सिंह	18.05.22	24.05.22	200	शून्य	200
5	प्रस्तुत नहीं की गयी	49	अंकुश ठाकुर सुपुत्र श्री ज्ञान चंद	15.04.22	24.05.22	400	शून्य	400
6	प्रस्तुत नहीं की गयी	49	कुमारी शानू सुपुत्री श्री गोपाल सिंह	18.05.22	30.05.22	200	शून्य	200
7	प्रस्तुत नहीं की गयी	50	अजय कुमार सुपुत्र श्री दलीप सिंह	06.07.22	13.07.22	200	शून्य	200
8	प्रस्तुत नहीं की गयी	50	तेज सिंह सुपुत्र श्री मान सिंह	14.06.22	13.07.22	200	शून्य	200
9	प्रस्तुत नहीं की गयी	50	सुनीता देवी सुपुत्री श्री श्याम सिंह	20.07.22	27.07.22	200	शून्य	200
10	प्रस्तुत नहीं की गयी	50	कंचना सुपुत्री श्री जगदीश चंद	20.07.22	30.07.22	200	शून्य	200
11	प्रस्तुत नहीं की गयी	50	चन्दन लाल सुपुत्र श्री पालि	20.07.22	03.08.22	200	शून्य	200
12	प्रस्तुत नहीं की गयी	51	सोठा राम सुपुत्र श्री मंगलू राम	25.11.1964	08.08.22	400	शून्य	400
13	प्रस्तुत नहीं की गयी	51	अश्वनी कुमार सुपुत्र श्री हेम राज	04.08.22	17.08.22	200	शून्य	200
14	प्रस्तुत नहीं की गयी	51	मनीष कुमार सुपुत्र श्री जगदीश	02.06.22	18.08.22	400	शून्य	400
15	प्रस्तुत नहीं की गयी	51	विजय कुमार सुपुत्र श्री तारा चंद	21.06.22	27.09.22	400	शून्य	400
16	प्रस्तुत नहीं की गयी	51	मंजु देवी सुपुत्री अर्जुन सिंह	26.09.22	08.10.22	200	शून्य	200
17	प्रस्तुत नहीं की गयी	52	आशीष राणा	26.09.22	17.10.22	200	शून्य	200
18	प्रस्तुत नहीं की गयी	52	रजत वर्मा सुपुत्र श्री राम लाल	26.09.22	27.10.22	400	शून्य	400
19	प्रस्तुत नहीं की गयी	52	अंकिता सिंह सुपुत्री श्री मान सिंह	18.11.22	28.11.22	200	शून्य	200
20	प्रस्तुत नहीं की गयी	52	रीना देवी सुपुत्री श्री विधि चंद	02.12.22	09.12.22	200	शून्य	200
21	प्रस्तुत नहीं की गयी	53	कंचना कुमारी सुपुत्री श्री दलीप सिंह	04.12.22	16.12.22	200	शून्य	200
22	प्रस्तुत नहीं की गयी	53	अभिषेक राणा सुपुत्र श्री डूम राम	13.01.23	25,01.23	200	शून्य	200
23	प्रस्तुत नहीं की गयी	53	अनिल कुमार सुपुत्र श्री कवर सिंह	06.06.22	30.01.23	400	शून्य	400
24	प्रस्तुत नहीं की गयी	53	अमृता कौंडल सुपुत्री श्री संजय कुमार	26.01.23	02.02.23	200	शून्य	200
25	प्रस्तुत नहीं की गयी	54	संगीता शर्मा सुपुत्री श्री संजय कुमार	09.02.23	15.02.23	200	शून्य	200
26	प्रस्तुत नहीं की गयी	54	लोकेश कुमार सुपुत्र श्री शेर सिंह	15.01.23	04.03.23	400	शून्य	400
27	9392	62	आशा देवी सुपुत्री श्री राम लाल	27.01.21	03.03.24	400	200	200
28	9393	63	कलित शर्मा सुपुत्र श्री सुधीर शर्मा	31.01.21	03.03.24	400	200	200

प्रधान

ग्राम पंचायत

29	प्रस्तुत नहीं की गयी	55	अशोक कुमार सुपुत्र श्री कश्मीर	22.02.23	14.03.23	200	शून्य	200
30	प्रस्तुत नहीं की गयी	55	गुलाब सिंह सुपुत्र श्री प्यार चंद	09.02.23	17.03.23	200	शून्य	200
31	प्रस्तुत नहीं की गयी	56	अभिषेक सकलनी सुपुत्र श्री रण सिंह	09.03.23	27.03.23	200	शून्य	200
32	प्रस्तुत नहीं की गयी	56	राकेश कुमार सुपुत्र श्री कृष्ण चंद	16.02.23	28.03.23	400	शून्य	400
33	प्रस्तुत नहीं की गयी	56	ज्योति सुपुत्री श्री लाल सिंह	01.05.23	08.05.23	200	शून्य	200
34	प्रस्तुत नहीं की गयी	57	धीरज कुमार सुपुत्र श्री दूनी चंद	22.05.23	17.06.23	200	शून्य	200
35	प्रस्तुत नहीं की गयी	57	विक्रम सिंह सुपुत्र श्री दान सिंह	06.06.23	17.06.23	200	शून्य	200
36	प्रस्तुत नहीं की गयी	57	आकांक्षा सुपुत्री श्री जीवन लाल	23.06.23	26.06.23	200	शून्य	200
37	प्रस्तुत नहीं की गयी	57	मनीष कुमार सुपुत्र श्री गोविंद राम	13.05.23	26.06.23	400	शून्य	400
38	प्रस्तुत नहीं की गयी	57	ऋषि कुमार सुपुत्र श्री रण सिंह	27.06.23	12.07.23	200	शून्य	200
39	प्रस्तुत नहीं की गयी	57	सुनीता ठाकुर सुपुत्री श्री संत सिंह	09.07.23	13.07.23	200	शून्य	200
40	प्रस्तुत नहीं की गयी	58	कुसुम सुपुत्री श्री रूपीन्द्र कुमार	09.07.23	15.07.23	200	शून्य	200
41	प्रस्तुत नहीं की गयी	58	अजय कुमार सुपुत्र श्री आत्मा राम	09.07.23	15.07.23	200	शून्य	200
42	प्रस्तुत नहीं की गयी	58	संजीव कुमार सुपुत्र श्री चुनी लाल	17.07.23	18.07.23	200	शून्य	200
43	प्रस्तुत नहीं की गयी	58	राहुल सकलनी सुपुत्र श्री पुराण चंद	02.07.23	22.07.23	200	शून्य	200
44	प्रस्तुत नहीं की गयी	58	लक्ष्मी सुपुत्री श्री भीम सिंह	27.07.23	06.09.23	400	शून्य	400
45	प्रस्तुत नहीं की गयी	59	नेहा राणा सुपुत्री श्री अमी चंद	01.11.23	18.11.23	200	शून्य	200
46	प्रस्तुत नहीं की गयी	61	क्नहिया लाल सुपुत्र श्री मोहन लाल	31.01.24	16.02.24	200	शून्य	200
47	प्रस्तुत नहीं की गयी	61	पवन कुमार सुपुत्र श्री अमर सिंह	08.02.24	20.02.24	200	शून्य	200
48	प्रस्तुत नहीं की गयी	62	मधु सुदन सुपुत्र श्री रमेश कुमार	31.01.24	27.02.24	200	शून्य	200
49	प्रस्तुत नहीं की गयी	62	शिवानी ठाकुर सुपुत्री श्री शेस राम	18.02.24	27.02.24	200	शून्य	200
50	प्रस्तुत नहीं की गयी	62	जमना देवी सुपुत्री श्री कालीदास	14.02.24	27.02.24	200	शून्य	200
51	प्रस्तुत नहीं की गयी	62	नेहा सुपुत्री श्री बक्सी राम	18.02.24	01.03.24	200	शून्य	200
								12200

पैरा संख्या -8

परिशिष्ठ - (घ)

क्रम संख्या

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मिट्रीक टन)	रॉयल्टी (प्रति मिट्रीक टन)	राशि
	14 वां वित्त आयोग									
1	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	20/10.05.22	रेत	16800	400	11.32	1.62	18.34	80	1467
2	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	20/10.05.22	बजरी	35100	900	25.47	1.52	38.71	80	3097
3	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	21/10.05.22	रेत	19320	460	13.02	1.62	21.09	80	1687
4	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	21/10.05.22	बजरी	11700	300	8.49	1.52	12.90	80	1032
5	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	21/10.05.22	बोल्डर	23200	0	29.00	2.24	64.96	80	5197
6	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	22/10.05.22	रेत	2520	460	13.02	1.62	21.09	80	1687
7	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	22/10.05.22	बजरी	1170	300	8.49	1.52	12.90	80	1032
	15वां वित्त आयोग									
8	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	032/14.06.22	रेत	3360	80	2.26	1.62	3.67	80	293
9	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	032/14.06.22	बजरी	780	20	0.57	1.52	0.86	80	69
10	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	033/24.06.22	रेत	2940	70	1.98	1.62	3.21	80	257
11	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	033/24.06.22	बजरी	5070	130	3.68	1.52	5.59	80	447
12	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	034/24.06.22	रेत	2100	50	1.42	1.62	2.29	80	183
13	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	034/24.06.22	बजरी	3900	100	2.83	1.52	4.30	80	344
	एसडीपी									
14	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	113/20.12.23	रेत	4762	100	2.83	1.62	4.58	80	367
15	ठाकुर स्टोन ड्रेस्सर गाँव व डाकघर गिउन तहसील धरमपर जिला मंडी	113/20.12.23	बजरी	8536	200	5.66	1.52	8.60	80	688
	कुल योग									17849